

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 163  
उत्तर देने की तारीख: 13/03/2023

जेएनयू में तमिल विद्यार्थियों पर हमला

†\*163 श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्री ए. राजा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में दक्षिणपंथी समूह के छात्रों द्वारा तमिल छात्रों पर किए गए हमले के संबंध में कोई शिकायत की गई है;
- (ख) यदि हां, तो घायल हुए छात्रों की संख्या और उन्हें प्रदत्त चिकित्सा उपचार के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा उग्रता पर उतरे उन छात्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है जिन्होंने निर्दोष तमिल छात्रों पर हमला किया और थानथाई पेरियार की तस्वीर सहित राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों को भी क्षतिग्रस्त किया; और
- (घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है कि निर्दोष छात्रों पर इस प्रकार के हिंसक हमले की पुनरावृत्ति न हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके?

उत्तर

शिक्षा मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

जेएनयू में तमिल विद्यार्थियों पर हमला के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री ए. गणेशमूर्ति और श्री ए. राजा द्वारा दिनांक 13.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 163 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त संगठन है और संबंधित अधिनियम, इसके तहत बनाए गए संविधियों और अध्यादेशों द्वारा शासित है। विश्वविद्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक, शैक्षणिक निर्णय अपने वैधानिक निकायों, जैसे कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और कोर्ट के अनुमोदन से लिए जाते हैं। वर्तमान में, जेएनयू में लगभग 9000 छात्र नामांकित हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभिन्न छात्र समूहों ने जेएनयू के छात्र गतिविधि केंद्र में 19 फरवरी, 2023 की शाम को कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। कुछ छात्रों के बीच हाथापाई हुई जिसका तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप द्वारा समाधान किया गया और व्यवस्था बहाल की गई। विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण और सहभावना का परिवेश बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा आउटरीच कार्यकलापों सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यों की एक जांच समिति का भी गठन किया है।

\*\*\*\*\*